04/10/24

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थना पत्र का प्रारंभिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया गया का जारी हो। नंबर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

GCMS
2024/361

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:07:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी सन्दीप कुमार आर.ए.एस

प्रकरण सं0 155/2024 GCMS:- 2024/361 दायरा दिनांक 13.06.2024

1. पूनम देवी पत्नी इन्द्रकुमार जाति कोठारी निवासी वार्ड नं0 15 तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. ललिता देवी पत्नि भंवरलाल जाति कोठारी निवासी वार्ड नं0 15 तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. सुधादेवी पत्नि राजेश कुमार जाति कोठारी निवासी वार्ड नं0 15 तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

–प्रार्थीगण–

बनाम

राजस्थान सरकार बजरीये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

– अप्रार्थी –

उपस्थित :– 1. श्री श्याम सुन्दर चाण्डक (अभिभाषक प्रार्थीगण)
2. तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (पेरोकार राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित धारा 8(2) उपनिवेशन शर्तें

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक 05.10.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक पक्षकारान उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में पत्रावली के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते रास्ता स्वीकृति अन्तर्गत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहपठित धारा 8(2) उपनिवेशन शर्तें के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके धारण के मुताबिक जमाबन्दी सम्वंत 2073–2076 चक 37 पी.बी.एन खाता सं0 नया 94 पुराना 53 से पं0नं0 34/378 कि0नं0 12/1 में 0.0130 खाला, 12/2 में 0.0120 नालीदोयम, 13 में 0.0130 खाला, 16/1 में 0.101 नालीदोयम, 16/2 में 0.0130 खाला, 17/1 में 0.1010, 17/2 में 0.0250 खाला, 18 में 0.253 नालीदोयम, 19 में 0.2530 नालीदोयम, 22/2 में 0.1000 नालीदोयम, 23/1 में 0.1000 नालीदोयम, 24/2 में 0.1000 नालीदोयम, 25/1 में 0.1140 नालीदोयम कुल 1.1980 है0 नालीदोयम मय खालाभूमि [illegible] प्रत्येक 1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर में दर्ज कागजात है। [illegible] पं0नं0 34/379 किला नं0 5/2, 6/2, 15/2, 16/2, 25/2 में [illegible] का रास्ता स्वीकृत है किन्तु यह कि0नं0 25/2 में समाप्त हो जाता है। प्रार्थी[illegible] की भूमि चक 37 पी.बी.एन के प0नं0 34/378 में प्रवेश हेतु अपनी ही खातेदारी भूमि पं0नं0 34/378 के कि0नं0 25/1 में उतर–दक्षिण रास्ता 100 फुट लम्बा व 16 1/2 फुट चौड़ा जो की

– लगातार 2 पर –

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:07:25 IST
Reason: SelfAttested

प0नं0 34 / 379 कि0नं0 5 / 2 से मिलान कर अपने कृषि भूमि में पहुचने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। रास्ते की भूमि प्रार्थीगण की है इसलिये इसे रास्ता में दर्ज होने पर मुआवजा की मांग नहीं करेगें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर रिपोर्ट तहसील मागवाकर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई की गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा जांच रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षण मय तहसीलदार सूरतगढ़ की और ध्यान दिलाया व निवेदन किया की सक्षम अधिकारी की जांच रिपोर्ट अुनसा प्रार्थीगण की कृषि भूमि वाके चक 37 पी. बी.एन प0नं0 34 / 378 में पहुचने हेतु रास्ता उपलबध ना होने का तथ्य अंकित किया है कि और ध्यान दिलाया व प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने की प्रार्थना की। पैरोकारराज की और से राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय की प्रार्थना की।

उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात पूर्व पत्रावली का तर्को के परिपेक्ष्य में उपलब्ध रिकार्ड व अनुशंसा तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को ध्यान में रखते हुए पठन व मनन करने उपरान्त पाया कि चक 37 पी.बी.एन पं0नं0 34 / 379 के किला नं0 5 / 2, 6 / 2, 15 / 2, 16 / 2, 25 / 2 में 0.025 का रास्ता उपलबध है किन्तु प0नं0 34 / 379 में प0नं0 34 / 378 में प्रवेश हेतु रास्ता उपलबध नहीं है। प्रार्थीगण अपने स्वंय भूमि में रास्ता चाहते है। व भूमि अपनी गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है। जिसके लिये वे मुआवजा भी नही चाहते अर्थात राज्यहित की हानि नहीं होती। भू–अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों की पुष्टी होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर चक 37 पी.बी.एन प0नं0 39 / 378 कि0नं0 25 / 1 में उतर–दक्षिण 100 फुट का पूर्व–पश्चिम (चौड़ा) 16 1 / 2 फुट का कुल (भूमि 1650 वर्गफुट) अर्थात 0.0153 है0 भूमि का रास्ता स्वीकृत कर चक 37 पी.बी.एन. प0नं0 34 / 329 के कि0नं0 5 / 2 के रास्ते को मिलान करते हुए चक 37 पी.बी.एन. पं0नं0 34 / 329 कि0नं0 5 / 2 के रास्ते में चक 37 पी.अी. एन प0नं0 34 / 378 के कि0नं0 25 / 1 में स्वीकार किया जाता है। चक 37 पी.बी.एन पं0नं0 34 / 378 का 0.0153 है रास्ता गैर मुमकिन दर्ज कर प्रार्थीगण का रकबा प0नं0 39 / 378 कि0नं0 25 / 1 में कम करते हुए रास्ता की भूमि गै0मु0 दर्ज कर शेष भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी रहेगी। रास्ता में आयी भूमि का मुआवजा देय नहीं होगा।

आदेश सुनाया गया। [illegible] शुमार कर दाखिल दफतर की जावें। आदेश की सूचना अलग से अमल[illegible] करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को दी जावें। निर्णय खुले न्या[illegible] 2024 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.10.08 17:07:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़